न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–499 / 2026

ऋषि राज बनाम् बिहार सरकार

परिवाद पत्र संख्या–3505 / 2023

अधीन धारा–406, 418 भा0 दं0 सं0।

05.05.2026 परिवाद पत्र सं0–3505 / 2023, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–406, 418 में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदक **ऋषि राज उम्र–32 वर्ष, पेसर–मनोज सिंह साकिन–अंजनी वार्ड संख्या–07, थाना–सराय, जिला वैशाली** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता **श्री दिलीप कुमार सिंह** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, परिवादिनी के पति बी0एस0एन0एल0 में पदस्थापित हैं, जिनके साथ शैलेंन्द्र साही भी एक कर्मचारी कार्यरत है, उसी शैलेंन्द्र शाही का दामाद अभियुक्त ऋषि राज है। प्रार्थी परिवादिनी के पति रामेश्वर शाह के साथ विगत करीब दो वर्षों से शैलेन्द्र शाही और ऋषि राज परिवादिनी के घर आया करते थे, और शैलेन्द्र शाही के दामाद रहने के कारण ऋषि राज को परिवादिनी तथा उनके पति काफी मान सम्मान देते थे और उसी का लाभ उठाकर अभियुक्त परिवादिनी से तथा इनके पति से काफी अपनापन बना लिया तथा अकेले में भी बार–बार परिवादिनी के यहां आने लगा और परिवादिनी से यह कहा कि सरकार का एक स्कीम आया है जिसके तहत जो महिला 60 वर्ष से कम उम्र की है उन्हें अपना स्वयं का रोजगार करने के लिए 10 लाख रूपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें पहली किस्त 6 लाख रूपया मिलेगा तथा रोजगार शुरू करने के बाद दूसरी किस्त 4 लाख रूपया मिलेगा। उस 10 लाख रूपया में से 6 लाख रूपया माफ कर दिया जाएगा केवल चार लाख ही 8 वर्षों में बिना ब्याज का वापस करना पड़ेगा। उक्त 10 लाख रूपया की राशि को प्राप्त करने के लिए परिवादिनी को 3 लाख खर्च करना पड़ेगा और यह सब काम मैं आपको करवा दूंगा। यह प्रलोभन देकर कि आप 3 लाख खर्च करेंगे तो आपको 3 लाख रूपया की बचत होगी तथा 4 लाख आठ वर्षों में वापस करना होगा। ऐसा प्रलोभन देकर परिवादिनी को अभियुक्त अपने विश्वास में ले लिया। अभियुक्त पर विश्वास करके परिवादिनी दिनांक 08.01.2023 को 3 लाख रूपया नगद अपने आवासीय घर पर अपने पति तथा अन्य साक्षियों के सामने अभियुक्त को दिया और उसी दिन अभियुक्त ने परिवादिनी से स्टांप पेपर पर एवं सादा पेपर पर दस्तखत करवाकर अपने पास रख लिया। और परिवादिनी से चार सादा चेक में से एक चेक पर उसका दस्तखत करवाकर एवं तीन सादा चेक बिना दस्तखत के यह कहकर कि सभी चेक सरकार के यहां जमा होगा, लेकर अपने पास रख लिया।

Web Copy not Official

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–499 / 2026

ऋषि राज बनाम् बिहार सरकार

लगातार

05.05.2026 परिवादिनी को यह आश्वासन दिया कि परिवादिनी को पहली किस्त 6 लाख रूपया एक माह के भीतर और दूसरी किस्त 4 लाख रूपया तीन माह के भीतर उसके अकाउंट में जाएगा। परिवादिनी के हाजीपुर डाकघर के मुख्य शाखा के अकाउंट नंबर भी नोट करके अपने पास रख लिया है।

दिनांक 10.02.2023 को पोस्ट ऑफिस मुख्य शाखा हाजीपुर के अकाउंट नंबर पर 6 लाख रूपया आया और उसी दिन उस राशि को वापस ले लिया गया। दिनांक 08.03.2023 को परिवादिनी के बैंक अकाउंट पर 6 लाख रूपया आया और फिर उसी दिन वापस ले लिया गया। एवं दिनांक 13.03.2023 को फिर से बैंक अकाउंट पर 6 लाख रूपया आया और फिर उसी दिन उसके खाता से वापस ले लिया गया।

उसके बाद परिवादिनी अभियुक्त से यह कहती रही कि जब वह उसे एक पैसे भी नहीं दिलवा सका और तीन माह से अधिक समय बीत चुका है तो परिवादिनी से लिया हुआ तीन लाख रूपया, पांच स्टांप पर जो दस्तखत लिया है वह सभी स्टांप एवं सभी चारों चेक परिवादिनी को वापस कर दे। क्योंकि दस लाख रूपया की बात करके और परिवादिनी को अपने विश्वास में लेकर उसके साथ विश्वासघात किया है। उस पर अभियुक्त परिवादिनी को तीन लाख रूपया, सभी पांचों सटंप तथा सभी चारो चेक वापस दे देने का बात लगातार करता रहा और अंत में दिनांक 03.12.2023 को परिवादिनी को साफ–साफ यह कह दिया कि वह न तो तीन लाख रूपया वापस करेगा और न ही परिवादिनी से लिया गया कोई स्टांप या चेक उसे वापस देगा। अगर परिवादिनी अभियुक्त के उपर दबाव देगी तो वह उसके विरूद्ध परिवादिनी द्वारा दस्तखत किये गए स्टांप और चेक का उपयोग करके उसी पर ही दावा कर देगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस मामले में झुठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि इस मामले की जांच के बाद निचली अदालत ने आवेदक के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–406 एवं 418 के तहत संज्ञान लिया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि यह आरोप जनवरी 2023 का है जबकि शिकायत लगभग दिसंबर 2023 में दर्ज कराई गई है। इससे आवेदक को परेशान करने के इरादे से सोची समझी साजिश का संकेत मिलता है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक ने परिवादिनी से कोई भी भुगतान नहीं लिया है और उसके द्वारा दिये गए स्टांप या चेक का कोई उपयोग नहीं किया गया है इसलिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा–406 एवं 418 का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है आवेदक को अग्रिम जमानत का

Web Copy Not Official

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–499 / 2026

ऋषि राज बनाम् बिहार सरकार

लगातार

05.05.2026 लाभ दिया जाये।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार को पाते हुए अन्तर्गत धारा 406 और 418 भारतीय दण्ड संहिता आवेदक ऋषि राज के विचारण हेतु आहूत किया। अभिलेख में हाजीपुर हेड ऑफिस तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संलग्न है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि सुमित्रा साह के हाजीपुर डाकघर के मुख्य शाखा के खाता में दिनांक 10.02.2023 को 6 लाख रूपया आया तथा उसी दिन फंड इनसफिशियेंट लिखकर राशि वापस हो गई। परिवादिनी के बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता से विदित होता है कि दिनांक 08.03.2023 को 6 लाख रूपया उसके खाता में आया तथा उसी दिन पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉवर लिखते हुए 06 लाख रूपया वापस हो गए। पुनः दिनांक 13.03.2023 को 06 लाख रूपया परिवादिनी के खाता में आया और उसी दिन पुनः वापस हो गया। परिवादिनी के खाता में इस प्रकार की राशि का आना और स्वतः ही निकल जाना परिवादिनी द्वारा किये गये कथन की सत्यता का द्योतक है। अभियुक्त द्वारा परिवादिनी को स्वरोजगार स्कीम का प्रलोभन देकर तीन लाख रूपया हड़प लेने का वित्तीय दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप है।

मामले के तर्कों, अपराध की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों, आवेदक के आचरण एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official